फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी—सूरतगढ़ जिला—श्रीगंगानगर

मोहन कंवर बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः—136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्याः— 261 /2025

GCMS:- 2025/624

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3.11.25 | आज यह पत्रावली वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया मोहन कंवर पत्नि कुम्भा सिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 टी.टी.डी.—बी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 53/23 की 38.131 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 खातेदारी भूमि में उक्त जमाबंदी के क्रम संख्या 16 में मोहन कंवर पत्नि कुम्भासिंह जाति राजपुत साकिन 3 टी.टी.डी.—बी तहसील सूरतगढ़ व क्रम संख्या 17 पर मोहनी देवी पत्नि कुम्भसिंह जाति राजपुत निवासी ठेठार दर्ज है। उक्त दोनों नाम में से मोहनी देवी पत्नि कुम्भसिंह दर्ज हो गया है जबकि सही नाम मोहन कंवर पत्नि कुम्भासिंह दर्ज होना चाहिए। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम दुरस्त करने का आदेश प्रदान फरमावें।<br><br>तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार मोहन कंवर पत्नि कुम्भासिंह व मोहनी देवी पत्नि कुम्भसिंह जाति राजपुत एक ही महिला के नाम है। अतः रिकार्ड में मोहन कंवर पत्नी कुम्भासिंह दुरस्त की जानी उचित बताया है।<br><br>वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार सूरतगढ़ की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 2 टी.टी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या नया 53 पुराना 23 की कुल 38.131 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 मय खाला के क्रम संख्या 17 पर अंकित ''मोहनीदेवी पत्नि कुम्भसिंह'' के स्थान पर ''मोहन कंवर उर्फ मोहनीदेवी पत्नि कुम्भासिंह'' दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें। शेष अंकन यथावत् रहेगें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>आदेश सुनाया गया।<br><br>(भरत जय प्रकाश मीणा) I.A.S.<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ (राज.) | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena

Date: 2025.11.10 11:23:04 IST

Reason: SelfAttested

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक / राजस्व / प्रा0पत्र / 261 / 2025 / 3.11.2025 / 2021 दिनांकः– 3.11.25

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः–राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 261 /2025 मोहन कंवर बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 3.11.25 अनुसार पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 2 टी.टी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या नया 53 पुराना 23 की कुल 38.131 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 मय खाला के क्रम संख्या 17 पर अंकित ''मोहनीदेवी पत्नि कुम्भसिंह'' के स्थान पर ''मोहन कंवर उर्फ मोहनीदेवी पत्नि कुम्भासिंह'' दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें। शेष अंकन यथावत् रहेगें।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.10 11:23:04 IST
Reason: SelfAttested